न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–35 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 35

अपीलाण्ट :–

1. रामा पुत्र जगसी
2. 1/1. ठाकराराम पुत्र स्वं. श्रीरामा

1/2 मेवाराम पुत्र स्व. श्री रामा

1/3 गगीबेन पुत्री स्व. श्री रामा

1/4 अगरबेन पुत्री स्व. श्री रामा

जातिगण रबारी निवासी वरणवा तहसील सांचौर जिला जालौर।

बनाम

रेसपोडेन्ट :–

01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

02.नायब तहसीलदार चितलवाना तहसील सांचौर।

03. श्रीमती रतनी पुत्री त्रिकमा पत्नी जोधा जाति रबारी निवासी कुमारड़ी तहसील थराद जिला बनासकांठा ;गुजरात।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
विरूद्ध आदेश दिनांक 09.06.2008 जो राजस्व अपील संख्या 49 / 2007
अनवान रामा बनाम सरकार वगैरह में जिला कलेक्टर, जालौर

उपस्थिति :–
1. श्री लाधूराम पुनिया, राजूराम हरियाल विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.11.2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 49 / 2007 में निर्णय दिनांक 09.06.2008 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलाण्ट ने अभिकथन कर निवेदन किया कि,–

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विद्वान जिला कलेक्टर जालौर द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील को सरसरी तौर पर एवं म्याद बाहर होना मानकर खारिज करने में भारी विधिक भूल की गई है।

अपीलाधीन कार्यवाही अपीलार्थी की गैर हाजरी में नियम विरूद्ध की गई है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के नाम की प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण विधि विरूद्ध कार्यवाहीयों के लिए अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। इस कारण विद्वान जिला कलेक्टर का अपीलाधीन आदेश मामले में न्यायिक ध्यान दिये बिना पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलार्थी ने अपने ग्राम वरणवा बैंक खाते की नकल प्रस्तुत की तथा राशन कार्ड प्रस्तुत किया जिसको नहीं माने जाने का कोई कारण विद्वान जिला कलेक्टर की पत्रावली पर नहीं है इन दस्तावेजों को तकनीकी कारण पर स्वीकार नहीं किया गया है जिसका न्याय के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

विद्वान जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया को मानने में भारी भूल की गई है यह मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विधि विरूद्ध तैयार कर प्रस्तुत किया है जो नामान्तरकरण कार्यवाही के बाद का होने से शून्य दस्तावेज है जो साक्ष्य में पढे जाने योग्य नहीं है।

अपीलाधीन कार्यवाही अपीलार्थी की गैर हाजरी में एवं बिना उसको सुनवाई सूचना का अवसर दिये की गई होने से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलाधीन नामान्तरकरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी करके दर्ज किया जाना स्पष्ट प्रमाणित है जो तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार की नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि की दृष्टि में स्वतः ही शून्य व निरस्त है। विद्वान जिला कलेक्टर ने इस प्रविष्टि को बिना पढे अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार होने से उसको वर्ष 1972 में मौजा सांकरिया तहसील सांचौर के 05/12/2024, खसरा नम्बर 6/425 रकबा 15 बीघा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित कर राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया इसके पश्चात अपीलार्थी को तहसीलदार सांचौर ने जरिये नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 20.04.1982 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये इसी नामान्तरकरण में बाद में पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को फौत बताकर प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसकी पुत्री बताकर प्रविष्टि की जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया फिर भी इस प्रविष्टि के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 में प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी की लड़की नहीं है प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी की जगह दर्ज करने की तमाम कार्यवाही मिलावटी व नियम विरूद्ध की गई है अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

काबिज होने तथा अशिक्षित गांव का व्यक्ति होने से इस गलत प्रविष्टि की अपीलार्थी को जानकारी नहीं हो सकी इसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 500 में प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम के गलत इन्द्राज को हटाने के लिए एक अपील विद्वान जिला कलेक्टर जालौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसको विद्वान जिला कलेक्टर जालौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.06.2008 के द्वारा अस्वीकार किये जाने का आदेश दे दिया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीनं आदेश दिनांक 09.06.2008 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा नामान्तरकरण संख्या 500 ग्राम सांकरिया में प्रत्यर्थी संख्या 3 के नाम की प्रविष्टि को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश को यथावत रखे जाने का आदेश फरमावें ।

5. हमने उपस्थित के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि

1) मूलतः अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 500 पर दिनाक 16.03.82 को भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांचकर टिप्पणी की गई कि –

"जांच की सही पाया रामा को खातेदार अधिकार देने के बाद उत्तराधिकारी मु. रतनी के नाम फेसल करावे। रामा फौत होने से उत्तराधिकारी का ना.क. दूसरा भरा जावे।"

इस नामान्तरकरण पर दिनांक 20.04.82 द्वारा तहसीलदार, सांचौर द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि –

"नामान्तरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार किया गया की टिप्पणी कर स्वीकार किया गया ।"

उक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि आलोच्य नामान्तरकरण 500 द्वारा रामा पुत्र जगसी को गैरखातेदारी से खातेदारी हक प्रदान करने की कार्यवाही ही सम्पन्न की गई थी। एवं इस नामान्तरकरण द्वारा रामा पुत्र जगसी की विरासत बाबत कोई अंतिम निर्णय स्वीकृता अधिकारी द्वारा पारित नही किया गया था। अतः इस नामान्तरकरण को आधार मानकर रामा पुत्र जगसी की विरासत बाबत राजस्व अभिलेख में किया गया कोई भी अंकन शुन्य है।

2)अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नही किया गया हैं मात्र लिमिटेशन के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर नही है। तथा न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रामा के विधिक वारिसान को सीपीसी के प्रावधानो के तहत सुना गया है। मात्र अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब के आधार पर

29/11/2009

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निस्तारित किया गया है । विधि अनुसार रामा के विधिक वारिसान को सुना जाना आवश्यक है अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 09.06.2008 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 49/2088 निर्णय दिनांक 09.06.2008 को अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण तहसीलदार सांचौर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि

1) नामान्तरकरण संख्या 500 ग्राम साकरिया निर्णय दिनांक 20.04.82 के आधार राजस्व भू अभिलेख में की गई प्रविष्टियों को दुरूस्त कर वापस "रामा पुत्र जगसी कौम रबारी साकिन वरणवा खातेदार" दर्ज की जावे।

2)रामा पुत्र जगसी की फौतेदगी पर नामान्तरणकरण दर्ज करने हेतु धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विस्तृत जांचकर विवादित आराजी के वास्तविक आंवटी गैर खातेदार जिन्हे दिनांक 20.04.82 को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है की पहचान सुस्थापित कर उनके विधिक वारिसान के नाम फौतेदगी के नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न करे।

3)इस कार्यवाही के दौरान अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)